

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग


मासिक / दैनिक भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाड़े पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यिक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नवत् है:-

कार्य का नाम	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाड़ें के वाहन की आपूर्ति
मुहरबंद निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05/09/17 को 03:00 बजे अपराह्न तक
निविदा खोलने की तिथि	05/09/17 को 04:00 बजे अपराह्न


निविदा निबंधित/स्पीड पोस्ट/हाथो-हाथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदा को निर्धारित तिथि को विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में देनी होगी। निविदा की शर्तें विभागीय वेबसाइट या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। जमानत की राशि 5,000/- रुपये मात्र का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।


05/09/17
विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को कम से कम एक वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि के समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
2. उपलब्ध कराये जाने वाले सभी वाहनों का निबंधन परिवहन विभाग, बिहार सरकार के अधीन वाणिज्यिक रूप से होना अनिवार्य होगा।
3. फर्म/संस्थान का जी.एस.सी. के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य है।
4. फर्म/संस्थान द्वारा विगत एक वर्ष का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन वर्ष 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए तथा अच्छी हालत में होनी चाहिए।
6. वाहन का रख-रखाव, ईंधन तथा चालक के वेतन आदि के भुगतान का दायित्व संबंधित फर्म/संस्थान का होगा।
7. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन एवं ड्राइवर को देय क्षतिपूर्ति का दायित्व फर्म/संस्थान की होगी।
8. भाड़े पर वाहन रखने हेतु देय विहित प्रपत्र पठनीय, स्वच्छ टंकित प्रति कराकर निविदादाता को देना होगा।
9. निविदा को बिना सूचना एवं कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
10. निविदादाता के उपरोक्त सारे आवश्यक कागजात देय अनिवार्य है, बिना कागजात के निविदा निरस्त समझा जायेगा।
11. तकनीकी निविदा में निर्धारित शर्तों को नहीं पूरा करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय निविदा निरस्त समझी जायेगी।
12. वाहन सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना होगा।
13. सेवा में टूट होने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 500/- (पांच सौ) रुपये प्रतिदिन की दर से दण्ड राशि की कटौती फर्म/संस्थान के द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।
14. जब भी जितनी संख्या में गाड़ी की मांग की जायेगी फर्म/संस्थान को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अंदर मांग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध कराना होगा।


 K. 109/11
 विशेष कार्य पदाधिकारी,
 ग्रामीण विकास विभाग,
 बिहार, पटना।

भाडे पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

निविदा प्रपत्र 'क' वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)		
क्रमांक	वाहन का विवरण	1500 कि.मी. प्रति माह
1	इनोवा, टाटा सफारी-ए.सी.	@RS.....
2	स्कॉपियो-ए.सी.	@RS.....
3	स्विफ्ट डिजायर-ए.सी. / हॉन्डा एमेज	@RS.....
4	बोलेरो-ए.सी., इंडिगो, प्लैटो	@RS.....

निविदा प्रपत्र 'ख' वाहन का दैनिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)				
क्रमांक	वाहन का विवरण	80 कि.मी. अथवा 8 घंटा	अतिरिक्त कि.मी.	अतिरिक्त घंटा
1	इनोवा, टाटा सफारी-ए.सी.	@RS.....	@RS.....	@RS.....
2	स्कॉपियो-ए.सी.	@RS.....	@RS.....	@RS.....
3	स्विफ्ट डिजायर-ए.सी. / हॉन्डा एमेज	@RS.....	@RS.....	@RS.....
4	बोलेरो-ए.सी., इंडिगो, प्लैटो	@RS.....	@RS.....	@RS.....

नोट :- प्रपत्र 'क' में निर्धारित अधिकतम परिचालन सीमा 1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक परिचालन की स्थिति में प्रपत्र 'ख' में अतिरिक्त कि.मी. के दर से भुगतान किया जायेगा ।

चेक लिस्ट

तकनीकी निविदा

1. 5,000/- रूपये का DD
2. कार्यानुभव
3. पांच गाड़ियों का वाणिज्यिक निबंधन
4. जी.एस.टी. निबंधन का प्रमाण
5. विगत वर्ष के आयकर रिटन की छाया प्रति

वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा का प्रपत्र